2012/00025

मि0न0 10/2012(रेफरेन्स) सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा बनाम मानसिंह,झंवरी बाई,दुर्गेश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08-11-19	पेरोकार सरकार उपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि ग्राम शंकरपुरा तहसील लाडपुरा गत खसरा नं0 62 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा किस्म गै0मु0 नाला दर्ज थी हाल ख0न0 154 की 0.67 व 155 की 0.10 कुल0. 87है0 वर्तमान जमाबन्दी सं0 2064–70 में खाता सं0 120 पर मानसिंह पुत्र रामसिंह कोम राजपूत सा0 छीपनहेडीखाता स0 28 पर झवरी बाई बेवा रामनाथ,दुर्गेश पुत्री श्रीलाल वर्गे0खातेदारी मे दर्ज हो गई है। अतः खाता सं0 120 व 28 की प्रविष्टि निरस्त कर उक्त वर्णित आराजी की खातेदारी पूर्वानुसार राज्य सरकार के हित में भूमि की किस्म गैर मुमकिन नाला पूर्ववत दर्ज करने का निवेदन किया गया। गया । उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई । तामील कुनन्दा की रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी मानसिंह के पिता का नाम रामसिंह न होकर भंवरसिह है एवं झवरी बाई बेवा रामनाथ जाति मीना के नाम की कोई महिला ग्राम छीपनहेडी में नहीं रहती है। रेफरेन्स जवाब में बताया कि अप्रार्थी गोपाल की मृत्यु हो चुकी है। उसके कायम मुकामान को रेफरेन्स में पक्षकार नहीं बनाया है जबकि उसके विरासत का नामा सं0 189 दिनांक 05.06.2009 को ही तहसीलदार लाडपुरा द्वारा तस्दीक किया गया है।इस न्यायालय के पत्र कमांक/रीडर/एडीएम/2019 /238 दिनांक 1.02.2016,1656 दिनांक 30.06.2016,2369 दिनांक 19.09.2016, 474 दिनांक 31.05.2018, 73दिनांक 17. 01.2019,685 दिनांक 23.07.2019, 1056 दिनांक 21.10.2019 से लिखे जाने पर भी मृतक के कायम मुकामान की सूची प्राप्त नहीं हुई है। जिससे अप्रार्थी के कायम मुकामान की तलबी किया जाना संभव नहीं है। अतः तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र इस निर्देश के साथ खारिज किया जाता है कि तहसीलदार लाडपुरा अप्रार्थी के वारिसान की जांच कर वासियान के सही पते अंकित करते हुए पुनःनये सिरे से उक्त रेफरेन्स का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे। मूल हो मय दस्तावेज तहसीलदार लाडपुरा को लौटाया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ़्तर हो । अति0 जिला कलक्टर कोटा (राज0) कोटा	